

(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुझुनू

सुमन देवी II, आर.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी:-

राजस्व वाद सं.- 104/2025

जीसीएमएस नम्बर :- 2025/217

1. कुलदीप पुत्र सरदारा जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0
2. जयसिंह पुत्र सरदारा जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0
3. प्रमोद पुत्र सरदारा जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0
4. महेश कुमार पुत्र सरदारा जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0
5. अंतर सिंह पूनिया पुत्र जुगाराम जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0
6. अनिल कुमार पुत्र नौरंगलाल जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0
7. अशोक कुमार पुत्र पीरामल जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0
8. कपिल पुत्र पीरामल जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0
9. कर्मवीर पुत्र प्रताप जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0
10. जुगतीराम पुत्र पालाराम जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0
11. जयप्रकाश पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0
12. पताशी चौधरी पत्नी नौरंगलाल जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0
13. मुंगा देवी पत्नी प्रताप सिंह जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0
14. राजकुमार पुत्र धुडा जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0
15. राजेन्द्र पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0
16. लक्ष्मी देवी पत्नी स्व0 पीरामल जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0
17. लीला पुत्र हीरा जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0
18. विकास पुनिया पुत्र प्रताप सिंह जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0
19. विजन्द्र पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0
20. शान्ति पत्नी बनवारी जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0



राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
बुहाना जिला झुझुनू (राज.)

21. संजय सिंह पुत्र पीरामल जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

22. सुरजाराम पुत्र पालाराम जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

.....वादीगण

बनाम

1. पूजा चौधरी पुत्री नौरंगलाल जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

2. बच्चू पुत्री बनवासी जाति जाट निवासी ठोठी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

3. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बड़वर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

4. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा पलोदा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज0

5. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा भालोड तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज.

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत:- घोषणात्मक व खाता विभाजन

-:निर्णय:-

दिनांक:- 2/6/2025

(1). दावी का वादपत्र रहा कि:-

1. यह कि दाके ग्राम ठोठी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 63 के हाल खसरा नम्बर 287 रकबा 1.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 288 रकबा 1.24 हैक्टर खसरा नम्बर 289 रकबा 1.86 हैक्टर खसरा नम्बर 326 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 330 रकबा 0.89 हैक्टर खसरा नम्बर 331 रकबा 0.25 हैक्टर खसरा नम्बर 332 रकबा 0.25 हैक्टर कुल कित्ता 7 कुल रकबा 5.76 हैक्टर में वादीगण व प्रतिवादीगण दर्ज रिकार्ड है।

2. यह कि दाके ग्राम ठोठी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 के जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 64 के खसरा नम्बर 275 रकबा 0.26 हैक्टर खसरा नम्बर 276 रकबा 3.08 हैक्टर खसरा नम्बर 35 रकबा 2.38 हैक्टर खसरा नम्बर 42 रकबा 2.42 हैक्टर कुल कित्ता 4 कुल रकबा 8.14 हैक्टर में वादीगण व प्रतिवादीगण दर्ज रिकार्ड है।

3. यह कि वाद वर्णित भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा बाहमी बंटवारा कर रखा है। बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से पर कास्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है।
4. यह कि वाद वर्णित भूमि में वादीगण के हिस्से इस प्रकार दर्ज है। वादी संख्या 1 का 1/30, वादी संख्या 2 का 1/30, वादी संख्या 3 का 1/30, वादी संख्या 4 का 1/30, वादी संख्या 5 का 1/12, वादी संख्या 6 का 1/18, वादी संख्या 7 का 1/48 वादी संख्या 8 का 1/48 वादी संख्या 9 का 11/288 वादी संख्या 10 का 1/8 वादी संख्या 11 का 1/60 वादी संख्या 12 का 1/72 वादी संख्या 13 का 1/144 वादी संख्या 14 का 1/12 वादी संख्या 15 का 1/60 वादी संख्या 16 का 1/48 वादी संख्या 17 का 1/12 वादी संख्या 18 का 11/288 वादी संख्या 19 का 1/60 वादी संख्या 20 का 1/60 वादी संख्या 21 का 1/60 वादी संख्या 22 का 1/8 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/72 प्रतिवादी संख्या 2 का 1/60 भाग दर्ज रिकार्ड हैं।
5. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 2 में दर्ज भूमि में वादी संख्या 1 का 1/15 वादी संख्या 2 का 1/15 वादी संख्या 3 का 1/15 वादी संख्या 4 का 1/15 वादी संख्या 7 का 1/24 वादी संख्या 8 का 1/24 वादी संख्या 11 का 1/30 वादी संख्या 18 का 1/30 वादी संख्या 14 का 1/6 वादी संख्या 15 का 1/30 वादी संख्या 16 का 1/24 वादी संख्या 17 का 1/6 वादी संख्या 20 का 1/30 वादी संख्या 21 का 1/24 प्रतिवादी संख्या 2 का 1/30 भाग दर्ज रिकार्ड है।
6. यह कि खातेदार बदामा पत्नी सरदार सिंह फौत हो चुकी हैं। जिसके विधिक वारिसान वादीगण संख्या 1 लगायत 4 दर्ज हैं। जो कि बदामा देवी पत्नी सरदार सिंह के हिस्सा 1/30 भाग व वाद पत्र के खण्ड संख्या 2 में 1/15 भाग को हजफ कर उसके स्थान पर वादीगण संख्या 1 लगायत 4 को 1/30 व वाद पत्र के खण्ड संख्या 2 में 1/15 भाग का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:-

कि वाके ग्राम ठोठी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 63 के हाल खसरा नम्बर 287 रकबा 1.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 288 रकबा 1.24 हैक्टर खसरा नम्बर 289 रकबा 1.86 हैक्टर खसरा नम्बर 326 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 330 रकबा 0.89 हैक्टर खसरा नम्बर 331 रकबा 0.25 हैक्टर खसरा नम्बर 332 रकबा 0.25 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 5.76 हैक्टर में बदामा देवी पत्नी सरदारा राम हिस्सा 1/30 भाग को हजफ कर उनके स्थान पर वादी संख्या 1 का 1/120, वादी संख्या 2 का 1/120, वादी संख्या 3 का 1/120 व वादी संख्या 4 का 1/120 भाग का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे।

(ख) कि वाके ग्राम टोटी तहसील बुहाना के जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 64 को खसरा नम्बर 275 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 276 रकबा 3.08 हैक्टर, ख0 न0 35 रकबा 2.38 है0, ख0 न0 42 रकबा 2.42 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 8.14 हैक्टर में बदामा देवी पत्नी सरदार का हिस्सा 1/15 भाग इतफ कर वादी संख्या 1 का 1/60, वादी संख्या 2 का 1/60, वादी संख्या 3 का 1/60, वादी संख्या 4 का 1/60 भाग का खातेदार घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। एव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से श्री विद्या कुमावत एडवोकेट द्वारा वकालतनामा/प्रतिदावा निम्न प्रकार पेश किया गया। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.01.2025 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 38 दिनांक 27.01.2025 के द्वारा मिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1485 दिनांक 19.05.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया। किसी ने ऐतराज पेश नहीं किया है।

प्रतिदावा निम्न प्रकार रहा कि :-

1. यह कि वाके ग्राम टोटी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 63 के हाल खसरा नम्बर 287 रकबा 1.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 288 रकबा 1.24 हैक्टर खसरा नम्बर 289 रकबा 1.86 हैक्टर खसरा नम्बर 326 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 330 रकबा 0.89 हैक्टर खसरा नम्बर 331 रकबा 0.25 हैक्टर खसरा नम्बर 332 रकबा 0.25 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 5.76 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/72 व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/60 भाग का खाता विभाजन कर अलग से खाता कायम कर लगान कायम कर

तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने के आदेश देवे व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम बबली की जगह शुद्ध कर बलकेश किया जावे।

यह कि वाके ग्राम टोटी तहसील बुहाना के जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 64 को खसरा नम्बर 275 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 276 रकबा 3.08 हैक्टर, ख0 न0 35 रकबा 2.38 है0, ख0 न0 42 रकबा 2.42 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 8.14 हैक्टर में वादी संख्या 2 का 1/30 भाग का खाता विभाजन कर दर्ज किया जावे व वादी संख्या 2 का नाम बबली की जगह बलकेश दर्ज किया जावे।

बहस के अनुसार शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुरे प्राप्त पर कोई ऐतराज नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एव मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत्

राजस्व अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (ख)

2075-2078 वाके ग्राम ठोठी स्थित भूमि हाल खाता संख्या 63, 64 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—:आदेश:-

“ न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ठोठी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्बन्ध 2075 से 2078 के खाता संख्या 63 के हाल ख0 न0 287 रकबा 1.17 है0, ख0 न0 288 रकबा 1.24 है0, ख0 न0 289 रकबा 1.86 है0, ख0 न0 326 रकबा 0.10 है0, ख0 न0 330 रकबा 0.89 है0, ख0 न0 331 रकबा 0.25 है0, ख0 न0 332 रकबा 0.25 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 5.76 है0, में बदामा देवी पत्नी सरदार राम हिस्सा 1/30 भाग को हजफ कर उनके स्थान पर वादी संख्या 1 का 1/120, वादी संख्या 2 का 1/120, वादी संख्या 3 का 1/120 व वादी संख्या 4 का 1/120 भाग का एवं वाके ग्राम ठोठी तहसील बुहाना के खाता संख्या 64 के ख0 न0 275 रकबा 0.26 है0, ख0 न0 276 रकबा 3.08 है0, ख0 न0 35 रकबा 2.38 है0, ख0 न0 42 रकबा 2.42 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 8.14 है0, में बदामा देवी पत्नी सरदार का हिस्सा 1/15 भाग हजफ कर वादी संख्या 1 का 1/60, वादी संख्या 2 का 1/60, वादी संख्या 3 का 1/60, वादी संख्या 4 का 1/60, भाग का वादीगण व प्रतिवादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-14” व नक्शा प्रदर्श “ब-1” के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-14” व नक्शा प्रदर्श “ब-1” के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-14” व नक्शा प्रदर्श “ब-1” इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ”

(समनवादी II)

उपसहयक कलेक्टर, बुहाना

पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 21.6.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(समनवादी II)

उपसहयक कलेक्टर, बुहाना

पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खम्ह अधिकारी, बुहाना जिला झुंझुनु (राज.)

सुनन देवी II, अररएस

जीसीएनएस नम्बर - 2024/217

जीसीन अधिकारी-

प्रस्व वाद सं.- 104/2024

कुलदीप बनाम पूजा अदि

दावा बाबत- घोषणात्मक खाता विभाजन

-निर्णय:-

वादी की ओर से श्री विकास कुमार एडवोकेट की उपस्थिति में एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री विधा कुमावत एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद को सुनन देवी II उपखम्ह अधिकारी, बुहाना के सम्म अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ठोठी तहसील बुहाना जिला झुंझुनु राज0 स्थित भूमि जन्मबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 63 के हाल ख0 न0 287 रकबा 1.17 है0, ख0 न0 288 रकबा 1.24 है0, ख0 न0 289 रकबा 1.86 है0, ख0 न0 326 रकबा 0.10 है0, ख0 न0 330 रकबा 0.89 है0, ख0 न0 331 रकबा 0.25 है0, ख0 न0 332 रकबा 0.25 है0, कुल कित 7 कुल रकबा 5.76 है0, में बदामा देवी पत्नी सरदार राम हिस्सा 1/30 भाग को हजफ कर उनके स्थान पर वादी संख्या 1 का 1/120, वादी संख्या 2 का 1/120, वादी संख्या 3 का 1/120 व वादी संख्या 4 का 1/120 भाग का एवं वाके ग्राम ठोठी तहसील बुहाना के खाता संख्या 64 के ख0 न0 275 रकबा 0.26 है0, ख0 न0 276 रकबा 3.08 है0, ख0 न0 35 रकबा 2.38 है0, ख0 न0 42 रकबा 2.42 है0, कुल कित 4 कुल रकबा 8.14 है0, में बदामा देवी पत्नी सरदार का हिस्सा 1/15 भाग हजफ कर वादी संख्या 1 का 1/60, वादी संख्या 2 का 1/60, वादी संख्या 3 का 1/60, वादी संख्या 4 का 1/60, भाग का वादीगण व प्रतिवादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-14" व नक्शा प्रदर्श "ब-1" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-14" व नक्शा प्रदर्श "ब-1" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-14" व नक्शा प्रदर्श "ब-1" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 24/8/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनन देवी II)

उपखम्ह अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना